तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **झब्बू बनाम तहसीलदार बानसूर** **अपील संख्या 29/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/1175)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। वे पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.04.2013 को स्थगन भी जारी है। तत्पश्चात् अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त होने से पत्रावली न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 10.04.2013 में अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकार्ड है, चारागाह भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2013 पारित किया गया है। पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2012 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा कुल रकबा 1.66 किस्म चारागाह के रकबा 0.30 हैक्टयर पर जौ तथा 0.25 पर कच्चा घर तथा खसरा नम्बर 477 रकबा 0.21 हैक्टयर किस्म चारागाह पर जौ की काश्त कर नाजायज कब्जा किया गया है। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें यह माना गया है कि चारागाह भूमि राजकीय भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार अतिक्रमण नही किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण जगपाल सिह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमि एवं जानवरों के पीने के पानी की भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमित नही करने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित करते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु समस्त राज्य को पालनार्थ कॉपी भिजवाई गई है। चूँकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.04.2013 एवं तहसीलदार बानसूर जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय 28.12.2012 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2013 को यथावत रखा जाता है। **(डॉ0 प्रवीण कुमार)** अति. संभागीय आयुक्त	